विहार विधान-सभा वादवृत्त।

बुधवार, तिथि २३ मार्च, १९६०।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य-विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा-सदन में बुधवार, तिथि २३ मार्च १९६० को ११ बजे पूर्वाह्न में अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्मा के सभापतित्व में हुआ।

श्री दीपनारायण सिंह—महाशय, मैं गत षष्ठ सत्र (सितम्बर-अक्टूबर, १९५९) के

---

९५५ अनागत प्रश्नों में से १२१ अनागत तारांकित प्रश्नों के उत्तर मेज पर रखता हूं। शेष प्रश्नों के उत्तर सचिवालय के विभागों से प्राप्त होने पर उपलब्ध कराये जायेंगे।

ये हैं गत षष्ठ सत्र (सितम्बर-अक्तूबर, १९५९) के १२१ तारांकित प्रश्नों के उत्तर जो समयाभाव के कारण सदन में नहीं दिये जा सके। शेष प्रश्नों के उत्तर सम्बन्धित विभागों से प्राप्त होने पर प्रस्तुत किये जायेंगे।

एनायतुर रहमान,
सचिव,
विहार विधान-सभा।

सूची।

क्रम सं०।	सदस्य का नाम।	प्रश्न संख्या।
१	श्री इन्द्र नारायण सिंह	५५
२	श्री प्रभुनारायण राय	६६, १२६, २८७
३	श्री सुखु मुर्मू	७२
४	श्री डुमरलाल बैठा	१२२
५	श्री जयनारायण झा 'विनीत'	१२३
६	श्री राजाराम आर्य	१२५
७	श्री राम जयपाल सिंह	१२८, ४२१, ११३२, ११९२
८	श्री सुखदेव मांझी	१५२
९	श्री ब्रजनन्दन शर्मा	१६३, ३३८, ८९६
१०	श्री राघवेन्द्र नारायण सिंह	१६९, २८८
११	श्री महावीर राउत	१८८, २७३
१२	श्री अब्दुल गफूर	२४०

RECOGNITION OF TAPKARA H. E. SCHOOL.

1362. **Shri S. K. BAGE** : Will the Minister incharge Education Department be pleased to state the steps taken so far to give recognition to the proposed High School at Tapkara, P.-S. Torpa, District Ranchi ?

कुमार गंगानन्द सिंह—प्रस्तावित उच्च विद्यालय, तपकरा (रांची) ने अष्टम् एवं

नवम् वर्गों की स्वीकृति के लिये भी शर्तों की पूर्त्ति नहीं की है। उदाहरण स्वरुप विद्यालय को अपना भवन नहीं है। सुरक्षित कोष में २,००० रुपये जमा नहीं हैं। पुस्तकालय में १,००० रुपये की लागत की १,००० पुस्तक नहीं हैं तथा प्रबंध समिति का गठन नये नियम के अनुसार नहीं हुआ है।

स्वीकृति संबंधी शर्तों की पूर्त्ति के उपरान्त ही स्वीकृति देने के प्रश्न पर विचार किया जायगा।

फुलडीहा स्कूल की मंजूरी।

१३६३। श्री राम कृष्ण राम—क्या मंत्री, शिक्षा विभाग यह बताने की कृपा करेंग

कि—

(१) क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत नवीनगर थाने में फुलडीहा और जयहिन्द तेन्दुआ में प्रस्तावित हाई स्कूल एक ही मील की दूरी पर चल रहा है;

(२) क्या यह बात सही है कि फुलडीहा स्कूल ने सरकार द्वारा निर्धारित सभी शर्तों को पूरा कर दिया है लेकिन अभी तक तेन्दुआ विद्यालय द्वारा कोई शर्त पूरी नहीं की गई है;

(३) क्या यह बात सही है कि वहां के संबन्धित शिक्षा अधिकारियों ने भी फुलडीहा स्कूल का निरीक्षण कर उक्त स्कूल की मंजूरी के लिये सिफारिश की है लेकिन अभी तक उसे स्वीकृति नहीं दी गई है, यदि हां, तो उसका क्या कारण है;

(४) क्या सरकार अतिशीघ्र फुलडीहा स्कूल की मंजूरी देने जा रही है, यदि हा तो कबतक और यदि नहीं, तो क्यों ?

कुमार गंगानन्द सिंह—(१) उत्तर स्वीकारात्मक है।

---

(२) उत्तर नकारात्मक है। जहां तक शर्तों की पूर्त्ति का संबंध है दोनों विद्यालयों का स्थिति प्रायः समान है।

(३) शिक्षाधिकारियों ने उपर्युक्त दोनों स्कूलों का निरीक्षण कर स्वीकृति के लिये प्रतिवेदन भेजा है। दोनों विद्यालय एक मील के अन्तर्गत हैं। अतः दोनों में अस्वास्थ्यकर प्रतिद्वन्द्विता चल रही है। इस क्षेत्र में एक ही विद्यालय का सुचारु रूप से चलना संभव जान पड़ता है। लेकिन दोनों की स्थिति समान होने के कारण किसी एक को स्वीकृति देना और दूसरे को छोड़ देना उचित नहीं जान पड़ता है। इन दोनों विद्यालयों को यदि मिलाकर एक कर दिया जाय तो वह सुचारु रूप से चल सकेगा। इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही विचाराधीन है।

(४) यह प्रश्न नहीं उठता है।